



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 पौष 1947 (श10)
(सं0 पटना 59) पटना, शुक्रवार, 16 जनवरी 2026

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

16 जनवरी 2026

अधिसूचना संख्या 19/2025 राज्य कर (दर)

एस० ओ० 58 दिनांक 16 जनवरी 2026— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम— 12, 2017) की धारा 9 की उप धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद् द्वारा, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या—09/2025— राज्य कर (दर), दिनांक 17 सितम्बर, 2025, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 1513, दिनांक 17 सितम्बर, 2025, द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

(क) अनुसूची II— 9% में क्रम सं. 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“4क.	2403 19 21, 2403 19 29	बीड़ियां;”;
------	------------------------	-------------

(ख) अनुसूची III— 20% में, क्रम सं. 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“14.	2106 90 20	पान मसाला;
15.	2401	अवनिर्मित तंबाकू; तंबाकू उच्छिष्ट [तंबाकू के पत्तों को छोड़कर];
16.	2402	सिगार, चेरुट, सिगारिलो और सिगरेट, तंबाकू या तंबाकू के विकल्प से बनी;

17.	2403 (2403 19 21, 2403 19 29 के अलावा)	अन्य निर्मित तंबाकू और निर्मित तंबाकू विकल्प; "समांगीकृत" या "पुनरचित" तंबाकू; तंबाकू निष्कर्ष और सत्व (बीड़ी को छोड़कर);
18.	2404 11 00	तंबाकू या पुनरचित तंबाकू युक्त माल और दहन के बिना श्वसन के लिए अभिप्रेत;
19.	2404 19 00	तंबाकू या निकोटीन विकल्प युक्त माल और दहन के बिना श्वसन के लिए अभिप्रेत।";

(ग) अनुसूची VII – 14% को और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाता है।

2. यह अधिसूचना 1 फरवरी, 2026 को प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं०- बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-19) 19)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार सिंह,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

16 जनवरी 2026

एस० ओ० 58 दिनांक 16 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०- बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-19) 19)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार सिंह,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 16th January 2026

Notification No. 19/2025–State Tax (Rate)

S.O. 58 Dated 16th January 2026— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. 09 -State Tax (Rate), dated the 17th September, 2025 published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 1513, dated the 17th September, 2025, namely:-

In the said notification, -

- (a) in the Schedule II – 9%, after S. No. 4 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

“4A.	2403 19 21, 2403 19 29	Biris;”;
------	------------------------	----------

- (b) in the Schedule III – 20%, after S. No. 13 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

“14.	2106 90 20	Pan masala;
15.	2401	Unmanufactured tobacco; tobacco refuse [other than tobacco leaves];
16.	2402	Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes;
17.	2403 (other than 2403 19 21, 2403 19 29)	Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes; homogenised or reconstituted tobacco; tobacco extracts and essences [other than biris];
18.	2404 11 00	Products containing tobacco or reconstituted tobacco and intended for inhalation without combustion;
19.	2404 19 00	Products containing tobacco or nicotine substitutes and intended for inhalation without combustion.”;

- (c) the Schedule VII – 14%, and the entries relating thereto shall be omitted.
2. This notification shall come into force on the 1st day of February 2026.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-19) 19)]

By the order of Governor of Bihar,

Sanjay Kumar Singh,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 59-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>